ॐ 4555 VIFT-BFA

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

22 APR 2016

उत्तर प्रदेश UTTAR P

AM 350940

ATTESTED

ARUN SHARMA
M.Com., LL.B., Advocate
Registry Compound, Kutchery
Meerut (U.P.), M. : 9837308823

ARUN SHARMA
M.Com., LL.B., Advocate
Registry Compound, Kutchery
Meerut (U.P.), M. : 9837308823

ओ3म लीज डीड अवधि 30 वर्ष

स्टाम्प अंकन 1200/-(एक हजार दो सौ)

हम कि **विद्या बाल मण्डली**, 247, विद्या नॉलिज पार्क, बागपत रोड़, मेरठ (ए सोसायटी रजिस्टर्ड अण्डर सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 सन् 1860) द्वारा सचिव **श्री प्रदीप कुमार जैन** पुत्र स्व0 श्री सुखवीर सिंह जैन निवासी 6-ए, जैन नगर मेरठ--प्रथमपक्ष (सम्पत्तिस्वामी/पटटादाता)।।

5077

पक्ष में

विद्या इंस्टीट्यूट आफ फेशन टेक्नोलॉजी विद्या नॉलिज पार्क, बागपत रोड़, मेरठ द्वारा श्री सौरभ जैन पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार जैन

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DC 814315

निवासी सी–9, सेक्टर 5, सुशान्त सिटी वेदव्यासपुरी, मेरठ **सेकेट्री** उक्त कॉलिज ––––––––––––द्वितीय पक्ष (लीज गृहिता)।

––––––––––

जो कि निम्नसीमित व मापानुसार एक कालिज बिल्डिंग मय आराजी तहती रकबई 5000, वर्गमीटर, खाता नम्बर 00735 के खसरा नम्बरान 217–ख, 218, 220, 222, 223, 224, 226, 228, 238, 239, 240, 242, 244, 250, 254क, 254ख, 255/1, 257, 299,246,247ख, 253,256/1, 269/1, 286/1 व खाता नम्बर 00403 के खसरा नम्बरान 219,221,241,243,245,247,248,301,302 इस प्रकार कुल खसरा नम्बरान 34 कुल रकबई 18.3920 हेक्टेयर स्थित ग्राम पॉचलीखुर्द परगना व तहसील व जिला मेरठ उक्त कालिज बिल्डिंग कैम्पस की भूमि सहित

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DC 814316

अन्य भूमि प्रथमपक्ष कयकर तत्पश्चात् उस पर अपनी लागत से निर्माणकर व्यक्तिगत स्वामी व किसी भी व्यक्ति/संस्था/कॉलिज आदि को लीज पर देने की अधिकारी है और प्रथमपक्ष सोसायटी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके उक्त कालिज बिल्डिंग कैम्पस को किराये पर देने के लिए श्री प्रदीप कुमार जैन सचिव उक्त सोसायटी को अधिकृत किया है, तथा उक्त सम्पत्ति भूमि विद्या नॉलेज पार्क परिसर मे स्थित है तथा उक्त भूमि उप जिलाधिकारी मेरठ के आदेश द्वारा अकृषिक घोषित की जा चुकी है और मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ के मास्टर प्लान 2021 मे शिक्षा संस्थानों के लिए आरक्षिरत है, उक्त नम्बरान के खसरा नम्बर 250 में जिसका रकबा 2.9970

हेक्टेयर है और सस्था के पूर्ण स्वामित्व में है मे से विद्या इन्सटीटयूट ऑफ फैशन टेक्टनोलोजी को 30 वर्ष के लिए कुल रकबई 5000 वर्गमीटर भूमि लीज पर दे रहे हैं और प्रथमपक्ष की ओर से उक्त सम्पत्ति आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण तथा भार आदि से मुक्त एवं रहित है तथा द्वितीय पक्ष ने उक्त सम्पत्ति को उक्त कॉलिज के लिए शिक्षण कार्य हेतु तीस वर्ष के लिए लीज पर लेने की ख्वाईश प्रथम पक्ष से की है तथा प्रथम पक्ष ने निम्न शर्तो के आधीन उक्त सम्पत्ति को तीस साल के लिए द्वितीय पक्ष को लीज पर देना निश्चित किया हैं। अतः दोनों पक्ष व उनके उत्तराधिकारी निम्न धाराओ के पाबन्द रहेंगें।

1– यह कि लीज दिनॉक **01–02–2009** ई0 से प्रारम्भ हो गयी है, तथा लीज का प्रत्येक वर्ष, वर्ष की 1 फरवरी से शुरू होकर अलगे वर्ष जनवरी माह की अन्तिम तारीख को पूरा हुआ करेगा तथा लीज साल दर साल तीस साल तक चलती रहेगी।

2– यह कि उक्त सम्पत्ति का किराया दोनो पक्षों में अंकन **5000/–** रूपये प्रतिवर्ष तय पाया है, जिसे द्वितीय पक्ष प्रति वर्ष प्रथम पक्ष को देने के पाबन्द व जिम्मेदार रहेगें, तथा उक्त लीज की अवधि **01–02–2009** से तीस वर्ष तक रहेगी, तथा प्रत्येक साल फरवरी माह के अन्तिम सप्ताह तक द्वितीय पक्ष हर हालत में लीज रेन्ट अदा कर दिया करेगें।

3– यह कि द्वितीय पक्ष उक्त सम्पत्ति पर बजरिये पटटेदार (लीजग्रहिता) अपना कब्जा दिनॉक **01–02–2009** को ही कर लिया है, तथा द्वितीय पक्ष को उक्त कालिज बिल्डिंग कैम्पस पर अपनी आवश्यकतानुसार निमार्ण करने व अपनी आवश्यकतानुसार व इच्छानुसार उक्त सम्पत्ति को इस्तेमाल करने व संस्था के लिये कार्य करने व शिक्षण कार्य करने, उसमें कोई भी कोर्स कराने, या अन्य शिक्षण कार्य करने, सम्पत्ति में स्कूल, कॉलिज चलाने आदि के समस्त अधिकार प्राप्त रहेगें तथा द्वितीय पक्ष ने उक्त अहाते में **बी0एफ0ए** को चलाने हेतु उक्त सम्पत्ति को किराये पर लिया हैं।

4– यह कि लीज **01–02–2009** से तीस वर्ष तक रहेगी, तथा उक्त अवधि में कोई लीज रेन्ट नही बढाया जायेगा।

5– यह कि उक्त सम्पत्ति पर बिजली व पानी आदि अन्य देय जो द्वितीय पक्ष की लीज के कारण व द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त सम्पत्ति को प्रयोग करने के कारण होगें उन्हें द्वितीय पक्ष ही अदा किया करेगें, तथा द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह शिक्षण कार्य व स्कूल व कॉलिज आदि के सम्बन्ध में कोई भी नव निमार्ण कराये, कनेक्शन नल व बिजली का ले, व टैक्स अदा करें, प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नही होगी।

6– यह कि द्वितीय पक्ष उक्त सम्पत्ति को अपने प्रयोग में शिक्षण कार्य के लिए ही लायेंगे अन्य कोई कार्य नही करेंगे तथा किसी अन्य को शिकमी किरायेदार नहीं रखेगें।

7– यह कि लीज की अवधि पूरी होने पर द्वितीय पक्ष उक्त सम्पत्ति पर अपने द्वारा किये गये निमार्ण को उठा लेगे जिसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नही होगी, तथा तीस साल अवधि पूरी होने पर किरायानामा स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।

8– यह कि लीज की अवधि में अन्तर्गत धारा **108** बी0 जे0 ट्रांसफर आफ प्रोपर्टी एक्ट के अनुसार द्वितीय पक्ष किरायेदार को अधिकार होगा कि वह किसी भी बैंक या संस्था को भूमि के लीज राईट व निमार्ण के स्वामित्व राईटस को मोरगेज करें, इसके लिये प्रथम पक्ष की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नही होगीा।

9– यह कि लीज अवधि के अन्दर प्रथम पक्ष को जब तक बैक या वित्तीय संस्था का ऋण अदा नही हो जायेगा लीज सामप्त करने का अधिकार नही होगा, अर्थात लीज अवधि के अन्दर प्रथम पक्ष किसी भी सूरत में लीज समाप्त नही करेंगे।

10– यह कि द्वितीय पक्ष उक्त सम्पत्ति में शिक्षा से सम्बन्धित समस्त कार्य हेतु जैसे कि कॉलिज चलाने की स्वीकृति सम्बन्धि समस्त विभाग से लेने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभायेगे तथा हर प्रकार की कार्यवाही कराने का अधिकार द्वितीय पक्ष को प्राप्त रहेगा जिसमे प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नही होगी।

11– यह कि उपरोक्त धाराओं का दोनो पक्ष पूर्ण रूप से पालन करेगें। अतः यह किरायानामा अवधि 30 तीस वर्ष लिख दिया कि प्रमाणित तथा उपयोगी हो। इति।।

सीमाये उक्त सम्पत्ति

पूरबः–	सम्पत्ति सोसायटी प्रथम पक्ष।।
पश्चिमः–	भूमि प्रथम पक्ष सोसायटी।।
उत्तरः–	भूमि प्रथम पक्ष सोसायटी।।
दक्षिणः–	रास्ता आम बागपत रोड।।

ह0

ह0

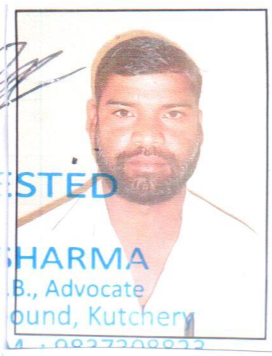

ATTESTED
ARUN SHARMA
M.Com., LL.B., Advocate
Registry Compound, Kutchery
Meerut (U.P.), M. : 9837308823

ATTESTED
ARUN SHARMA
M.Com., LL.B., Advocate
Registry Compound, Kutchery
Meerut (U.P.), M. : 9837308823

लिखित दिनॉक 23.04.2016 मसविंदा व फोटो सत्यापन श्री अरूण शर्मा एडवोकेट मेरठ।

ARUN SHARMA
M.Com. LL.B. Advocate
Registry Compound, Kutchery
Meerut (U.P.), M. : 9837308823

૨૬

स्टाम्प का मूल्य ૧૦૦૮ (रुपये में)

क्रेता का नाम વિધા ઇલેક્ટ્રીકલ પાર્ટ કંપની ઇન્ડિયા લીમીટેડ

पता

વિધા નાસિક પાર્ક વચ્ચે ૧૨૬૮

ઇલેક્ટ્રીક ઓફિસ

स्टाम्प विक्रेता का नाम

लाइसेंस संख्या

विक्रय स्थान का नाम

23/4/11

पट्टा विलेख (30 वर्ष)

		4,992.00	600.00	80	680.00	22	
प्रतिफल	मालियत	ओसत वार्षिक किराया	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	पृष्ठों की संख्या	

प्रदीप कुमार जैन द्वारा सचिव विद्या बाल मण्डली

पुत्र श्री सुखवीर सिह

व्यवसाय

निवासी स्थायी 6 ए जैन नगर मेरठ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 23/4/2016 समय 2:23PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बृजेश एस0 चौधरी
उपनिबन्धक तृतीय
मेरठ
23/4/2016

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता

प्रदीप कुमार जैन द्वारा सचिव विद्या बाल मण्डली
पुत्र श्री सुखवीर सिह
पेशा
निवासी 6 ए जैन नगर मेरठ

पट्टा गृहीता

श्री सौरभ जैन द्वारा विद्या इंस्टी0 आफ फेशन टैक्नो0 विद्या नॉलिज पार्क
पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार जैन
पेशा
निवासी सी 9 सुशान्त सिटी सुशान्त सिटी मेरठ

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान मंगल सैन
भंगेल सिंह

पेशा

निवासी एपेक्स सिटी मेरठ

व भूपेन्द्र सिंह
द0ले0 मेरठ

पेशा

निवासी

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बृजेश एस0 चौधरी
उपनिबन्धक तृतीय
मेरठ
23/4/2016

पट्टा दाता

Registration No.: 4555 Year : 2,016 Book No. : 1

0101 प्रदीप कुमार जैन द्वारा सचिव विद्या बाल मण्डली

सुखवीर सिह

6 ए जैन नगर मेरठ

पट्टा गृहीता

Registration No. : 4555 Year : 2,016 Book No. : 1

0201 **सौरभ जैन द्वारा विद्या इंस्टी0 आफ फेशन टैक्नो0 विद्या नॉलिज**

सुरेन्द्र कुमार जैन

सी 9 सुशान्त सिटी सुशान्त सिटी मेरठ

गवाह

Registration No.: 4555 Year : 2016 Book No. : 1

W1 मंगल सैन
भंगेल सिंह
एपेक्स सिटी मेरठ

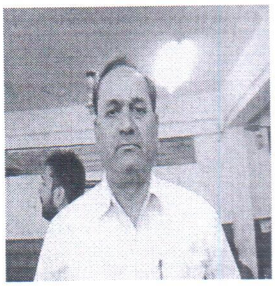

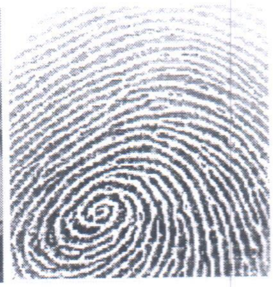

W2 भूपेन्द्र सिंह
द0ले0 मेरठ

आज दिनांक **23/04/2016** को

वही सं. **1** जिल्द सं. **11270**

पृष्ठ सं. **221** से **242** पर कमांक **4555**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बृजेश एस0 चौधरी
उपनिबन्धक तृतीय
मेरठ
23/4/2016